

अधीक्षक उत्पाद का कार्यालय, पलामू विज्ञप्ति

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक-2114 दिनांक-31.03.2019 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 1/नीति-28/2018- 2135 दिनांक 24.12.2018 द्वारा प्रकाशित "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018" तथा राजस्व पर्वद के अनुमोदित बिक्री अधिसूचना की शर्तों के तहत तीन वर्षों की ब्लॉक अवधि (दिनांक-01.04.2019 से 31.03.2022 तक) में अनुज्ञप्ति निर्गत करने की तिथि से शेष बची अवधि के लिए पलामू जिला में दिनांक-05.03.2019 को सम्पन्न बन्दोबस्ती के उपरान्त शेष बची अबंदोबस्त "देशी शराब की 02 (दो) दुकानें", "विदेशी शराब की 03 (तीन) दुकानें" तथा "कम्पोजिट की 01(एक) दुकानों" की कुल 03 समूहों में समूहवार बंदोबस्ती ई-लॉटरी प्रणाली द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार सम्पादित की जायेगी :-

क्र० सं०	विषय	तिथि
1	"देशी शराब की दुकान", "विदेशी शराब की दुकान" तथा "कम्पोजिट दुकान" की बंदोबस्ती हेतु आनलॉइन अभ्यावेदन समर्पित करने की तिथि व समय	दिनांक 07/05/2019 के पूर्वाह्न 10:00 बजे से दिनांक 13/05/2019 के संध्या 05:00 बजे तक
2	ई-लॉटरी की तिथि एवं समय	दिनांक 14/05/2019 के पूर्वाह्न 10:00 बजे से
3	ई-लॉटरी का स्थान	जिला समाहरणालय का सभाकक्ष, पलामू
4	ई-लॉटरी समर्पित करने हेतु वेबसाइट का पता	https://jhexcise.neml.in

2. पलामू जिला में ई-लॉटरी से बंदोबस्त होने वाली "देशी शराब की दुकान", "विदेशी शराब की दुकान" तथा "कम्पोजिट दुकान" की विवरणी निम्नवत है -

समूह संख्या	क्र० सं०	खुदरा उत्पाद दुकान का प्रकार	दुकान का नाम	दुकान की अवस्थिति का क्षेत्र	वार्षिक अनुज्ञाशुल्क	वार्षिक न्यूनतम राजस्व	मासिक उत्पाद परिवहन कर	जमानत राशि (कॉलम 7 का 5%)	अग्रिम उत्पाद परिवहन कर (कॉलम 7 का 7.5%)	धरोहर धन राशि (कॉलम 7 का 2%)	आवेदन शुल्क सर्विस चार्ज एवं एजेन्सी चार्ज को छोड़कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1	देशी	नगर निगम क्षेत्र डालटनगंज(छ: मुहान चौक से 500 मी० की परिधि में) न०-01	नगर निगम क्षेत्र	50000	4017000	284538	200850	301275	80340	10000
	2	विदेशी	नगर निगम क्षेत्र डालटनगंज (छ: मुहान चौक से कचहरी चौक तक) न०-01	नगर निगम क्षेत्र	100000	19236000	1362550	961800	1442700	384720	20000
TOTAL					150000	23253000	1647088	1162650	1743975	465060	30000

Kanwar

5	3	दे०श०	नगर निगम क्षेत्र डालटनगंज(छ: मुहान चौक से 500मी० की परिधि में) न०-03	नगर निगम क्षेत्र	50000	4017000	284538	200850	301275	80340	10000
	4	वि०श०	नगर निगम क्षेत्र डालटनगंज (छ: मुहान चौक से मोहन सिनेमा हॉल-सह-निजी बस पड़ाव तक)	नगर निगम क्षेत्र	100000	19300000	1367084	965000	1447500	386000	20000
TOTAL					150000	23317000	1651621	1165850	1748775	466340	30000
8	5	वि०श०	नगर निगम क्षेत्र डालटनगंज (रेडमा चौक क्षेत्र) न०-03	नगर निगम क्षेत्र	100000	14000000	991667	700000	1050000	280000	20000
	6	कम्पो	तिसीबार कुटमू	ग्रामीण क्षेत्र	25000	4193000	297005	209650	314475	83860	5000
TOTAL					125000	18193000	1288671	909650	1364475	363860	25000
Grand Total					425000	64763000	4587380	3238150	4857225	1295260	85000

नोट:- एजेन्सी चार्ज, जी० एस० टी० एवं आवेदन शुल्क के साथ जमा किये जाने वाला सर्विस टैक्स आवेदको द्वारा नियमानुसार देय होगा।

3. ई-लॉटरी हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया, निर्धारित शर्तें एवं प्रतिबंधों का विवरण निम्नवत है -
 - i. दुकानों की बंदोबस्ती की कार्रवाई "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018" तथा राजस्व पर्षद द्वारा अनुमोदित बिक्री अधिसूचना जो इस कार्यालय के ज्ञापांक 122 दिनांक 18.02.2019 द्वारा निर्गत है के शर्तों के तहत सम्पन्न करायी जायेगी।
 - ii. खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती हेतु दुकानों के समूह का गठन किया गया है। दुकानों की बंदोबस्ती हेतु गठित समूह के अंतर्गत न्यूनतम एक दुकान तथा अधिकतम तीन दुकानें हो सकती हैं। दुकानों की बंदोबस्ती समूहवार की जायेगी।
 - iii. खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती अनुज्ञप्ति निर्गत की तिथि से दिनांक-31.03.2022 तक के लिए की जायेगी, परंतु अनुज्ञप्तियाँ एक उत्पाद वर्ष या उसके भाग के लिए प्रदान की जायेगी, जिनका आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नवीकरण, दुकानों की संतुष्टिपूर्वक नियमानुसार चलाये जाने तथा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों एवं चालू वर्ष तथा पूर्व उत्पाद वर्ष के लिए वांछित उत्पाद राजस्व की प्राप्ति के उपरांत आगामी उत्पाद वर्ष के लिए पुनर्निर्धारित राजस्व/शर्तों के अनुसार किया जा सकेगा।
 - iv. कोई भी आवेदक खुदरा उत्पाद दुकान के किसी समूह पर अधिकतम तीन आवेदन समर्पित कर सकता है। आवेदक जिला/राज्य की सभी दुकानों के समूह पर तीन आवेदन समर्पित कर सकता है, बशर्ते कि वह समूह अंतर्गत दुकानों के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क, धरोहर धनराशि, एजेन्सी चार्ज एवं नियमानुसार GST की राशि जमा कर दें। लॉटरी में एक आवेदक किसी जिले में ई-लॉटरी के तहत अधिकतम दो समूह की बंदोबस्ती प्राप्त कर सकेगा तथा संपूर्ण राज्य में अधिकतम छः समूह की बंदोबस्ती प्राप्त कर सकेगा। प्रथम चरण की लॉटरी में यदि किसी आवेदक के साथ संपूर्ण राज्य में पांच समूह की बन्दोबस्ती हो गई है, तो द्वितीय चरण की बन्दोबस्ती में उसके साथ मात्र एक ही समूह की बन्दोबस्ती हो सकेगी। इसी प्रकार यदि किसी आवेदक के पक्ष में प्रथम

Handwritten signature

- चरण की बन्दोबस्ती में छः समूह की बन्दोबस्ती हो चुकी है, तो उसके साथ द्वितीय चरण में किसी भी प्रकार की बन्दोबस्ती नहीं की जायेगी, अर्थात् किसी भी परिस्थिति में एवं सभी चरणों की बन्दोबस्ती के पश्चात् किसी भी आवेदक के पक्ष में एक जिला में दो समूह तथा सभी जिला में अधिकतम छः समूह की बन्दोबस्ती हो सकेगी।
- v. खुदरा उत्पाद दुकानों के लिए निर्धारित कुल वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व (Annual Minimum Guaranteed Revenue) का 15% न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद कर (MGD) एवं 85% न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद परिवहन कर (ETD) है।
- vi. किसी भी दुकान हेतु निर्धारित कुल न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व (Annual Minimum Guaranteed Revenue) का 2% धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit), 5% जमानत की राशि (Security Deposit) तथा 7.5% अग्रिम उत्पाद परिवहन कर निर्धारित है।
- vii. किसी भी प्रकार के दुकान की लॉटरी में भाग लेने के लिए आवेदक को उस दुकान के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क, धरोहर धनराशि, एजेन्सी चार्ज एवं नियमानुसार देय GST की राशि समेकित रूप से जमा करनी होगी। आवेदन शुल्क, GST एवं एजेन्सी चार्ज की राशि Non-refundable है। असफल आवेदकों की धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी तथा सफल आवेदकों की धरोहर धनराशि उनके द्वारा देय जमानत की राशि में समायोजित कर ली जायेगी।
- viii. बंदोबस्ती में सफल आवेदक को दुकान अथवा दुकानों के समूह के लिए निर्धारित कुल वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का 5% जमानत की राशि तथा 7.5% अग्रिम उत्पाद परिवहन कर के रूप में जमा करना होगा। साथ ही उन्हें उस दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क को एकमुश्त जमा करना होगा। ससमय वांछित राशि जमा करने के उपरान्त ही अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जायेगी।
- द्वितीय चरण की बन्दोबस्ती के उपरान्त लॉटरी में सफल आवेदकों द्वारा बन्दोबस्ती के लिए निर्धारित जमानत की राशि एवं अग्रिम उत्पाद परिवहन कर ससमय नहीं जमा किया जाता है, तो आवेदक द्वारा जमा की गई धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा उन आवेदकों का नाम उत्पाद विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज किया जायेगा। ऐसे आवेदक भविष्य में किसी भी प्रकार की उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण नहीं कर सकेंगे।
- ix. आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व आवेदक के पास निम्नलिखित कागजात होने चाहिए –
- a. वैयक्तिक पहचान हेतु – पैन कार्ड (अनिवार्य)/मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड (अनिवार्य) की सॉफ्ट कॉपी;
- b. निवास प्रमाण हेतु – पासपोर्ट/अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून पदाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र/बिजली बिल/टेलिफोन बिल/बैंक का जीवित चालू खाता के स्टेटमेंट की सॉफ्ट कॉपी (इनमें से कोई एक);
- c. पत्राचार पता हेतु – पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/बैंक का जीवित चालू खाता के स्टेटमेंट के पहले पेज की सॉफ्ट कॉपी (इनमें से कोई एक);
- d. बैंक पासबुक की सॉफ्ट कॉपी (प्रथम पृष्ठ जिसपर खाता संबंधित विवरणी अंकित रहती है), अथवा, "बैंक स्टेटमेंट की प्रति", जो अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से तीन माह पूर्व की न हो अथवा, "कैन्सिल्ड चेक"।
- e. आयकर रिटर्न की छायाप्रति {वित्तीय वर्ष 2016-17, Assessment Year 2017-18 (ITR - V)}।

- f. आवेदक का हाल में खींचा गया फोटो की सॉफ्ट कॉपी;
- g. "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018" में यथा वर्णित शपथ के अनुरूप नोटरी पब्लिक द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र की सॉफ्ट कॉपी।
- x. आवेदक ई-लॉटरी में भाग लेने हेतु सर्वप्रथम अपने आप को लॉटरी पोर्टल, <http://jhexcise.neml.in> पर निबंधित करेगा।
- xi. आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया वेब आधारित है एवं इंटरनेट के माध्यम से की जानी है, इसीलिए आवेदन करते समय आवेदक इस बात का ध्यान रखेंगे कि इंटरनेट स्पीड कम से कम 2 mbps की हो, ताकि आवेदन सुचारू रूप से किया जा सके।
- xii. ई-लॉटरी पोर्टल पर निबंधन करने हेतु आवेदक के पास पैन नम्बर, चालू मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल पता होना चाहिए, ताकि उसपर OTP भेजा जा सके।
- xiii. ई-लॉटरी पोर्टल पर निबंधन के उपरांत दुबारा लॉगईन करने हेतु User ID, पैन नम्बर होगा तथा निबंधित मोबाइल संख्या पर प्रेषित OTP पासवर्ड के रूप में उपयोग किया जायेगा। आवेदक जितनी बार लॉगईन करेगा, उतनी बार नया OTP उनके मोबाइल पर प्रेषित किया जायेगा।
- xiv. आवेदक को आवेदन करते समय अपना एक बैंक खाता संख्या अंकित करना होगा, जिसके माध्यम से ई-लॉटरी हेतु सभी प्रकार की राशि का आदान-प्रदान आवश्यक होगा। बैंक में पैसा जमा करते समय Narration/Description डालते समय PAN No. का उल्लेख अवश्य करें, ताकि refund में किसी प्रकार की परेशानी न हो। असफल आवेदकों को Refund की जाने वाली राशि आवेदक द्वारा बताये गये खाते में ही वापस की जायेगी। आवेदन शुल्क, एजेन्सी चार्ज एवं GST की राशि Non-refundable है। प्रत्येक दुकान हेतु एजेन्सी चार्ज ₹ 500/- होगा। आवेदन शुल्क व एजेन्सी चार्ज पर GST देय होगा।
- xv. आवेदन के साथ अपलोड किये जाने वाले सभी आवश्यक कागजात उसी प्रपत्र एवं साईज लिमिट में होने चाहिए, जैसा कि ऑनलाइन आवेदन के पोर्टल में वर्णित किया गया है।
- xvi. सभी आवेदक आवेदन करते हुए अपने आवेदन पत्र को कम-से-कम दो बार जाँच कर लेंगे, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाये। गलत कागजात अपलोड करने की पूरी जिम्मेवारी आवेदक की होगी। अंत में पूर्ण आवेदन को वेबसाइट से डाउनलोड करके निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर स्कैन करेंगे एवं स्कैन कॉपी को अपलोड करेंगे।
- xvii. प्रत्येक आवेदन के लिए जमा की जाने वाली राशि ई-लॉटरी से संबंधित वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। आवेदक यह राशि भारतीय स्टेट बैंक, हटिया, धुर्वा में विभाग के खाता संख्या 35469052537, IFSC Code SBIN0000207 में जमा करेगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के खाता से संबंधित विवरणी ई-लॉटरी संबंधित वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। इस खाता में राशि केवल NEFT/RTGS/SBI Online Transfer के द्वारा Transfer की जायेगी। इस खाता में कोई भी आवेदक नगद राशि जमा नहीं करेंगे। आवेदक द्वारा इस खाता में राशि भुगतान करने के उपरांत उन्हें एक UTR Number अथवा Transaction Reference Number मिलेगा, जिन्हें वे ध्यान से नोट कर लेंगे। इस नम्बर का उपयोग आवेदन समर्पित करते समय आवश्यक होगा एवं इसी UTR Number/Reference Number के आधार पर आवेदक द्वारा जमा की गई राशि की संपुष्टि की जायेगी। बिना UTR Number/Reference Number भरे समर्पित किये गये आवेदन पर विचारणीय नहीं होंगे।

- xviii. जिलावार खुदरा उत्पाद दुकानों की विवरणी सभी जिला उत्पाद कार्यालय, विभागीय वेबसाइट jhr.nic.in/excise एवं <https://jhexcise.neml.in> पर प्राप्त की जा सकती है।
- xix. खुदरा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं बंदोबस्ती की तिथि में परिवर्तन करने का एकाधिकार विभाग के पास रहेगा।
- xx. आवेदक विभागीय अधिसूचना सं० 1/नीति-28/2018—2135 दिनांक -24.12.2018 द्वारा प्रकाशित झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बन्दोबस्ती एवं संचालन) नियमावली 2018 तथा इस कार्यालय के ज्ञापांक 122 दिनांक 18.02.2019 द्वारा निर्गत बिक्री अधिसूचना के शर्तों का पालन करने के लिये बाध्य होंगे।

KANUNJ
06/5/2019
अधीक्षक उत्पाद,
पलामू
6.5.2019